

दिनांक 11.11.2022

वाद पुकारा गया। वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता जी० एस० राणा उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

2. प्रतिवादी पर समन की तामील पर्याप्त हो चुकी है किन्तु इसके बावजूद प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

3. उभय पक्षों को आदेशित किया जाता है कि अग्रिम नियत तिथि तक वादग्रस्त सम्पत्ति के बाबत मौके पर यथास्थिति कायम रखेंगे।

4. प्रतिवादी को आपत्ति हेतु न्यायहित में अवसर देते हुये पत्रावली वास्ते आपत्ति/निस्तारण अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 6ग2 दिनांक 02.12.2022 को पेश हो।

दिनांक 11.11.2022

(योगेन्द्र कुमार सागर)
सीनियर सिविल जज
देहरादून।